केवल जागरूकता के लिए

जानिए
न्याय सहयोग (LEGAL ASSISTANCE ESTABLISHMENT)

न्याय सहयोग (Legal Assistance Establishment) बहुआयामी सेवा प्रदान करने वाले संस्थान के रूप में कार्य करता है जो कानूनी मदद चाहने वाले को एक ही छत और स्थल पर कानूनी मदद एवं सुविधाएँ प्रदान करता है।

राज्य विधिक सेवा प्राधिकार के उद्देश्यों को पूरा करने में न्याय सहयोग (Legal Assistance Establishment) कानूनी सहायता चाहने वालों को उनके मामलों एवं शिकायतों के निवारण के केन्द्र के रूप में कार्य करता है।

न्याय सहयोग (Legal Assistance Establishment) को राज्य विधिक सेवा प्राधिकार से संबंधित अधिवक्ता, प्राधिकार में कार्यरत कर्मी एवं पारा विधिक स्वयंसेवक सुचारू रूप से चलाएगें, जिनके पास इससे संबंधित सारी जानकारी एवं Data Base उपलब्ध होगा, जो कानूनी सहायता प्राप्त करने वालों द्वारा अपेक्षित होगा।

उद्देश्य

न्याय सहयोग (Legal Assistance Establishment) कि भूमिका राज्य विधिक सेवा प्राधिकार के सेवा प्रदाता से भी ज्यादा है। पूर्व में जब कोई कानूनी सहायता साधक राज्य विधिक सेवा प्राधिकार के पास मदद के लिए जाता था तो उसे जिला विधिक सेवा प्राधिकार या किसी अन्य संस्था के पास जाने के लिए कहा जाता था। वर्तमान में न्याय सहयोग (Legal Assistance Establishment) की स्थापना के बाद कानूनी सहायता साधक को संबंधित जिला न्यायालय, जिला विधिक सेवा प्राधिकार या संबद्ध अधिवक्ताओं से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। वीडियो कॉन्फ्रेसिंग की सुविधा से विचाराधीन कैदियों को सीधे उसके अधिवक्ता से जोड़ा जाता है।

न्याय सहयोग (Legal Assistance Establishment) द्वारा प्रदत सेवाएँ

न्याय सहयोग (Legal Assistance Establishment) द्वारा लाभुकों को प्रदत सेवाएँ :-

1) लाभुकों से संबंधित लम्बित मामलों की तुरन्त जानकारी।

2) कानूनी सहायता एवं सलाह।

3) राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, केन्द्र/राज्य सरकार की योजनाओं की जानकारी।

न्याय सहयोग (Legal Assistance Establishment) को प्रस्तुत करना होगा :-

1) जरूरतमंदों जैसे महिलाएँ, बच्चे, वृद्ध नागरिक, अनुसूचित जाति एवं जनजाति, सामाजिक एवं आर्थिक दृष्टि से पिछड़े वर्ग के सदस्य एवं पीड़ित लोगों को उचित कानूनी सहायता।

2) लोगों को उनके अधिकारों के संबंध में अवगत कराना तथा केन्द्र/राज्य सरकार की योजनाओं के संबंध में जानकारी देना।

3) आम लोगों की सरकारी कार्यालयों, संस्थानों से संबंधित शिकायतों के निवारण में उचित सहयोग।

4) आम जनों के बीच में विधिक जागरूकता फैलाना।

5) राज्य विधिक प्राधिकार द्वारा निर्देशित अन्य कार्यों का निर्वाहन।

सुविधाएँ

1) हेल्पलाईन नं0 - 18003457019 (नि:शुल्क)

2) डेडिकेटेड दूरभाष सेवा 0651-2482392

3) डेडिकेटेड ई-मेल (nyayasahyog@gmail.com)

4) जिला विधिक सेवा प्राधिकार एवं जेलों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा।

5) डेडिकेटेड मोबाईल फोन 9113189706

6) झालसा के वेबसाइट से माननीय सर्वोच्च न्यायालय, झारखण्ड उच्च न्यायालय, नालसा और अन्य न्यायालय/ट्रिब्यूनल से जुड़ने की सुविधा।

7) कानूनी सहायता के लिए संबद्ध अधिवक्ता की सेवा।

8) संबंध अधिवक्ताओं को पीएलवी की सुविधा उपलब्ध कराना एवं पीएलवी द्वारा आम लोग को कानूनी सहायता से संबंधित फॉर्म इत्यादि को भरने में सहायता।

9) झारखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार द्वारा संचालित हेल्पलाईन नं0 18003457019 (नि:शुल्क) इस केन्द्र से भी कार्यालय अवधि के दौरान संचालित किया जाएगा और कानूनी सहायता प्रदान करने के लिए संबद्ध अधिवक्ता से भी इस माध्यम से संपर्क स्थापित करना।

10) इस केन्द्र में स्थापित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा का इस्तेमाल आम लोग और झालसा/डालसा द्वारा किसी कार्य की जांच कर उचित जवाब देने के लिए किया जा सकता है। साथ ही साथ बन्दी कानूनी सहायता प्रदान करने वाले अधिवक्ता या डालसा से संपर्क स्थापित कर सकेंगे।

कानूनी सहायता के लाभुक विधिक सेवा संस्थान से निम्न सहायता प्राप्त कर सकते हैं :-

1) डालसा कार्यकलापों की जानकारी।

2) विभिन्न न्यायालयों में लम्बित अथवा निष्पादित मामलों की जानकारी।

3) कानूनी सहायता एवं सलाह। लाभुक नालसा एवं डालसा की विभिन्न योजनाओं की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं तथा सरकार की अनेकों योजनाओं का लाभ उठाने हेतु संपर्क कर सकते हैं।

❑❑❑

अधिक जानकारी एवं सहायता हेतु

कृपया संपर्क करें सदस्य सचिव, झालसा (8986601912) सचिव, उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति (9431100488) उप सचिव, झालसा (9431387340) किसी भी समय 24 x 7

प्रकाशन वर्ष : 2017

द्वारा प्रकाशित

झारखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार

न्याय सदन, ए.जी.ऑफिस के समीप, डोरण्डा, राँची

दूरभाष : 0651-2481520, फैक्स : 0651-2482397

ईमेल : jhalsaranchi@gmail.com, वेबसाइट : www.jhalsa.org

यह सामग्री झालसा के वेबसाइट ***"www.jhalsa.org"*** पर भी उपलब्ध है

यह सामग्री केवल जन जागरण के उद्देश्य से तैयार की गई है। अधिक जानकारी के लिए मूल योजना द्रष्टव्य है।